निर्णय बेजलाल श्री दिपांशु शर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बारा जिला बारां अतमाणित

प्रकरण सं. 33/21 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांक :- 8.6.2021
निर्णय दिनांक :- 20.12.21

उनवान

जगनलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम कुन्दनपुर तह० बारां

बनाम

1- मदनलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम कुन्दनपुर तह० बारां
2- उर्मिला पुत्री रामेश्वर पत्नी ओमप्रकाश जाति मीणा नि. मेरमाबाद तह० बारां
3- रुकमणी पुत्री रामेश्वर पत्नी राजेन्द्र जाति मीणा नि. कण तह० पीपल्दा जिलाकोटा
4- रामूबाई पुत्री रामेश्वर पत्नी शिवचरण जाति मीणा निवासी बोरदा तह० मांगरोल
5- भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां तह० बारां
6- राज. सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक :- 20.12.21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के न्याया. मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के पिता श्री रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 18.4.2021 को ग्राम कुन्दनपुर मे हो चुकी है तथा प्रार्थी की माता दिवाबाई की मृत्यु दिनांक 8.5.2021 को हो चुकी है प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 प्रार्थी के सगे भाई-बहिन है तथा जाति से मीणा है प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 के पिता श्री रामेश्वर के खाते मे ग्राम वाके माल कुन्दनपुर तह० बारां मे आराजीयात वर्तमान के वार्षिक ख.नं. 32/944 रकबा 0.07 हे., ख.नं. 34 रकबा 0.93 हे. ख.नं. 389 रकबा 0.16 हे. ख.नं. 390 रकबा 0.07 हे. ख.नं. 43 रकबा 3.88 हे. ख.नं. 434 रकबा 0.15 हे. ख.नं. 585 रकबा 0.04 हे. ख.नं. 595 रकबा 0.22 हे. ख.नं. 765 रकबा 0.56 हे. ख.नं. 766 रकबा 0.49 हे. ख.नं. 768 रकबा 0.01 हे. ख.नं. 769 रकबा 0.93 हे. ख.नं. 772 रकबा 0.90 हे. कुल 13 किता रकबा 8.41 हे. स्थित है उक्त खातेदार रामेश्वर पुत्र रामनाथ के खातेदारी की आराजी मे से ख.नं. 34 रकबा 0.93 हे. मे से 0.5852 हे. आदि व खसरा नं. 43 रकबा 3.88 हे. मे से 1.17 हे. परवन वृहद सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहित की गयी है जिसके नोटिस भी जारी कर दिये गये है तथा उक्त ख.नं. 43 की रकबा 0.51 हे. आदि

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

परियोजना के डिग्गी बनाने के लिए अधिग्रहण की गयी है जो परस्पर खातेदार की सहमति से की गयी है तथा इसकी एवार्ड राशि का चेक 21,76,126/- का जारी कर दिया गया है शेष अधिग्रहण भूमि का एवार्ड जारी करना शेष है प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है तथा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही जमीन का बंटवारा कर 30 बीघा जमीन काश्त जीवन यापन हेतु दी गयी थी जिसे प्रार्थी काश्त कर अपना भरण पोषण कर रहा था अधिग्रहण शुदा नीचन जमीन भी बंटवारे में प्रार्थी को दी गयी थी जिस पर प्रार्थी ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था परन्तु डिग्गी हेतु परस्पर खातेदार की सहमति से जमीन अधिग्रहित कर एवार्ड राशि प्रार्थी के पिता को जरिये चेक दी गयी तथा उनके द्वारा उक्त राशि का चेक उनके के सी सी के खाता सं. 11810501900046 यूको बैंक शाखा बारां में जमा करवा दिया तथा प्रार्थी के पिता की ओर के सी सी के 8,47,908/- जो दिनांक 5-2-2021 को बाकी थे। उसने उक्त चेक को जमा कर शेष राशि जरिये आर टी जी एस राशि 10,22,613/- राजेश्वर दयाल के अन्य खाते में हस्तान्तरित कर दिये गये।

प्रार्थी का छोटा भाई अप्रार्थी क्रमांक 1 मदनपाल प्रार्थी के पिता के साथ रहता था तथा उनके खाते में लेन देन उक्त अप्रार्थी क्रमांक 1 ही करता था उसके द्वारा पिता के खाते की शेष राशि का दुरुपयोग कर अप्रार्थी क्रमांक 1 ने खुर्द बुर्द कर दी है जबकि बाहमी बंटवारे में जिस खसरा नं० की आराजी प्रार्थी को दी गई थी उक्त अधिग्रहण शुदा आराजी के अवार्ड राशि को प्राप्त करने का अधिकारी प्रार्थी ही था परन्तु अप्रार्थी क्रमांक 1 ने षड्यंत्र पूर्वक उक्त प्रार्थी के पिता के खाते की [illegible] अवार्ड राशि अपने उपयोग में ले ली है जबकि उनका उसमें कोई कानूनी रूप कोई अधिकार नहीं बनता है पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी के द्वारा उनके खाते की जानकारी चाही गयी तो बैंक में जाकर तलाश किया गया तो बैंक वालों ने प्रार्थी के पिता का किसान क्रेडिट कार्ड खाता नं. 11810501900046 यूको बैंक शाखा बारां में 1400/- बकाया होना बताया जिसे प्रार्थी ने जमा कर दिनांक 2-6-2021 को रसीद प्राप्त की तथा एकाउन्ट स्टेटमेन्ट प्राप्त किया तथा उक्त सभी तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त हुयी। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थी के पिता के के.सी.सी. खाता के अतिरिक्त समस्त राशि अप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा हड़प कर ली गयी है तथा के.सी.सी की राशि का उपयोग लेन देन का अधिकार प्रार्थी के पिता राजेश्वर ने अप्रार्थी क्रमांक 1 दिया गया था इस कारण के.सी.सी. राशि का उपयोग अप्रार्थी क्रमांक 1 द्वारा किया गया है। प्रार्थी के पिता के

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 4 पुत्र व पुत्रियां मौजूद है तथा मीना बाई के - नाता प्रथा होने के कारण प्रार्थीया पुत्र पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं दिया गया है परन्तु अप्रार्थी क्रमांक 2 ता 4 उक्त अधिग्रहण शुदा राशि को प्राप्त करने के प्रयासरत है इसलिए उन्हें इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अधिग्रहित आराजी ख.नं. 34 व खसरा नं. 43 के अधिग्रहण भूमि के अवार्ड राशि का चैक बनना बाकी है जिसे भी अप्रार्थी क्रमांक 1 षडयंत्र कर प्राप्त करना चाहता है जिसका उसे कोई वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी क्रमांक 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि जब तक प्रार्थी के पिता के नाम की आराजीयात में उनके वारिसान का हक व अधिकार तय नहीं हो जाता तब तक उक्त अधिग्रहण शुदा आराजी की राशि का भुगतान किसी भी पक्षकार को नहीं किया जावे प्रार्थी के पिता के खातेदारी के दर्ज आराजी जो खाता संख्या 259 के अनुसार कुल रकबा 8.41 हे. का मौके व कब्जा बिलाई अनुसार बंटवारा होकर पृथक खाता दर्ज नहीं हो जाता है जब तक उक्त अवार्ड राशि किसी भी पक्षकार को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए अप्रार्थी क्रमांक 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी किया जाना आवश्यक है कि अधिग्रहण शुदा आराजी की राशि का चैक जारी ना किया जावे। अधिग्रहण शुदा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रमांक 1 ता 4 के पिता के खातेदारी की है तथा उनकी हक्क प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मौजूदा कानून के अनुसार बनता है जिसकी अवार्ड राशि प्रार्थी ही प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में बनता है यदि अवार्ड राशि अप्रार्थी गण क्रमांक 1 ता 4 प्राप्त कर लेते है तो प्रार्थी को अनावश्यक रूप से मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी तलब किया गया। अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम पुरुषक सम्वत 2072-75 खाता सं. 259, फोटो प्रति बैंक पास बुक, फोटो प्रति हक्क त्याग पत्र विचारार्थ पेश की गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि मीना बाई के पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है RRD-2002 पेज नं. 33, परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अधिग्रहण हो गई है जिसका चैक राजेश्वर को मिला है लोड पेटे खर्च कर दिये है अन्य व्यक्तियों को भी चैक

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

जिससे बाद में आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं बढ़े इसलिए स्थगन आदेश जारी आवश्यक है श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा stay दिया गया है जो मेरे द्वारा पेश किया गया है आराजी पैतृक है पैतृक भूमि में जन्म से हकों का अधिकार है अजय कुमार से करीब 10 साल पहले की राशि मिली है उस राशि पर हकों का अधिकार है दावा के निर्णय के बाद अधिकार तय होंगे। प्रार्थी के पिता के अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 पुत्र पुत्रियां मौजूद है तथा मीना जाति में नाता प्रथा होने के कारण प्रार्थी पुत्र पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं दिया गया है परन्तु अप्रार्थी क्र. 2 ता 4 उक्त अधिग्रहण हुई राशि को प्राप्त करने के प्रयास में है विवादित आराजी के सम्बन्धित प्रश्न वाद के निर्णय तक stay दिया जाना आवश्यक है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन कि विवादित भूमि जब अधिग्रहण की गई तब पिता जी जीवित थे तथा भूमि पिता जी के खातेदारी में थी। तहसीलदार के इन्तकाल की अपील मान. न्याया. जिला कलक्टर बारां के पेश कि गई है श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां द्वारा stay दिया हुआ है प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र से stay की क्या आवश्यकता है एक ही चीज के लिए 2 stay कैसे सम्भव है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। खातेदार के खिलाफ no stay। भूमि अवाप्ति अधिकारी के विरुद्ध न्याया. stay नहीं दे सकता है भूमि अवाप्ति के खिलाफ वाद कारण कब व कैसे हुआ उनको के नाम इन्तकाल खुल चुका है पूर्व में इनके दावे चल रहे है इसी सम्पत्ति को लेकर दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है 78/2016 दावा में दिनांक 3.12.21 की तारीख है एक केस को कितनी बार चलेंगे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम पुरुलुक सम्वत 2072-75 खाता सं. 259 के अनुसार विवादित आराजी रामेश्वर पुत्र रामनाथ जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज है नकल मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वर के अनुसार खातेदार रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 18.4.2021 को हुई थी। तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 8.5.2021 को हो गई ऐसा प्रार्थना पत्र से जाहिर होता है। प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम पुरुलुक प्रार्थी के पिता रामेश्वर के खातेदारी में थी उनके मरने के बाद कोई नामा. से प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्र. 1 ता 4 के खातेदारी में दर्ज हुई। इत्तफाक खातेदार रामेश्वर के जीवन काल में ख.नं. 43, व 34 की भूमि परवन वृहद सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहण की गयी। जिसकी सम्पूर्ण राशि खातेदार

लगातार 5.

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

को प्राप्त हुई प्रार्थी का कहना है कि अधिग्रहण हुआ भूमि है अब राशि मे से कटौती करके कोई रोका नहीं किया जावे। क्योंकि भीमा आदि मे शादी हुआ ~~xxx~~ लड़कियों को पिता की सम्पत्ति मे कोई अधिकार प्राप्त नहीं रह सकती है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड का फोटो प्रति-तहसीलदार द्वारा बोला जाकर सत्यापित किया गया फोटोप्रति अपील सं०-न्याया-जिला कलक्टर महोदय बारां मे पेश कि गयी मान-न्याया- द्वारा परवन सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहण मुआवजा दिये जाने से शेष राशि का मुआवजा भुगतान नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है। चूंकि एक ही भूमि के दो अलग-अलग न्याया- मे केस विचाराधीन है मान- न्याया- जिला कलक्टर बारां द्वारा stay दिया हुआ है फिर इस न्याया- से स्थगन आदेश लेने की क्या आवश्यकता है एक न्याया- से stay दिये जाने के बाद दूसरे न्याया- से stay दिया जाना उचित नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है
निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner